न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारीः– श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
निर्णय

प्रकरण सख्या : 23/2019
बउनवानः–

1. बालकृष्ण पुत्र श्री भैरूलाल जाति मीणा निवासी कूण्डला तहसील मांगरोल
2. कैलाशी पत्नी बालकृष्ण जाति मीणा निवासी कूण्डला तहसील मांगरोल
3. मनोज कुमार पुत्र बालकृष्ण जाति मीणा निवासी कूण्डला तहसील मांगरोल जिला बारां

...वादीगण

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 आर0टी0एक्ट0

वकील वादी : श्री अजीत कुमार जैन
दायरा दिनांकः 15.02.2019 निर्णय दिनांक : 19.02.2019

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी की शामलाती खाते की आरजी नया खाता संख्या 38 पुराना 36 की हाल जमाबंदी सम्वत 2066 से 2069 वाके ग्राम कूण्डला पटवार हल्का किशनपुरा तहसील मांगरोल में खसरा नं0 110 रकबा 4.48 है0 भूमि स्थित है। जो वादी की पत्नि व पुत्र के नाम शामलाती रूप से दर्ज है। उक्त आराजी के साबिक जमाबंदी सम्वत 2036–2039 में खसरा नं0 69 रकबा 30 बीघा 3 बिस्वा दर्ज थी। जिसकी पुष्टि मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नं0 69 रकबा 30 बीघा 3 बिस्वा के हाल खसरा नं0 110 रकबा 4.48 है0 से होती है। सेटलमेंट अधिकारियों ने साबिक खसरा नं0 69 रकबा 30 बीघा 3 बिस्वा के स्थान पर हाल खसरा नं0 110 रकबा 4.48 है0 कायम हुये है यानि 28 बीघा भूमि दर्ज की है। इस प्रकार वादी के हाल जमाबंदी में 4.48 है0 के स्थान पर 4.80 है0 भूमि दर्ज होनी चाहिए इस प्रकार वादीगण की आराजी में दौराने सेटलमेंट 0.32 है0 की कमी कर दर्ज की गयी। भू–प्रबंध अधिकारी द्वारा हाल खसरा नं0 110 रकबा 0.48 है0 वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2044–2065 में दर्ज किया गया जिसकी कमी पूर्ति सिवायचक खसरा नं0 111 रकबा 0.66 है0 में से 0.39 है0 की पूर्ति करने की अभिषंशा की है उसके मुताबिक प्रार्थी उक्त रकबे की पूर्ति हाल खसरा नं0 110 रकबा 0.48 है0 में 0.39 है0 बडाकर करवाये जाने का अधिकारी है। अतः ग्राम कूण्डला में स्थित भूमि खाता संख्या 38 हाल जमाबंदी सम्वत 2044–2063 रकबा 0.48 है0 खसरा नं0 110 में साबिक खसरा नं0 69 रकबा 30 बीघा 3 बिस्वा में

मिलान क्षेत्रफल में वर्णित सिवायचक खसरा नं0 111 रकबा 0.66 है0 में से 0.39 है0 की पूर्ति वर्तमान जमाबंदी में किये जाने की डिक्री पारित करें।

उक्त आशय का वाद पत्र जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत होने पर दिनांक 15.02.2019 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1–नकल मिलान क्षेत्रफल कूण्डला, प्रदर्श 2–नकल नक्शा कूण्डला, प्रदर्श 3– नकल जमाबंदी ग्राम कूण्डला की प्रमाणित प्रति प्रदर्श करवायी। प्रतिवादी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) पैरोकार राजस्थान सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) पैरोकार सरकार ने दिनांक 15.02.2019 को उपस्थित होकर अपने पत्र कमांक/भू0अ0/2019/एस पी0 1 दिनांक 15.02.2019 से प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकन किया कि बालकृष्ण पुत्र भैरूलाल जाति मीना निवासी कूण्डला के जमाबंदी सम्वत 2036–2039 में पुराने खसरा नं0 69 रकबा 30 बीघा 3 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड है। परन्तु वर्तमान भू–प्रबंध विभाग द्वारा सम्वत 2044–63 में खसरा नं0 69 रकबा 30 बीघा 03 बस्वा का नया खसरा नं0 110 रकबा 4.48 है0 दर्ज किया है जो वर्तमान जमाबंदी में भी दर्ज है। इस प्रकार खातेदार के लगभग 0.39 है0 भूमि कम दर्ज की गई है। अतः खातेदार को कमी भूमि की पूर्ति हेतु वर्तमान खसरा नं0 111 रकबा 0.66 है0 में से जो कि वर्तमान जमाबंदी में सिवायचक दर्ज है। जो प्रार्थी के कब्जे काश्त में भी है से की जा सकती है। वर्तमान नक्शा व साबिक खसरा नं0 के मिलान करने से भी खसरा नं0 111 पुराने खसरा नं0 69 से ही बना है किन्तु भू–प्रबंध विभाग द्वारा खसरा नं0 60 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा खसरा नं0 82 मि. खसरा नं0 68 मि. रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा के बनना बताया है। अतः मिलान करने से उक्त नम्बर पुराने खसरा नं0 69 से बनने से खातेदार के हाल रकबे 0.39 है0 की कमी पूर्ति वर्तमान खसरा नं0 111 रकबा 0.66 है0 से पूर्ति करने की अभिशंषा की जाती है।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन, मनन व अध्ययन किया गया। वकील वादीगण व प्रतिवादी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) की दिनांक 19.02.2019 को उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। वकील वादीगण व प्रतिवादी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यो का कथन किया है जिनका उनके द्वारा कमशः वाद पत्र व जवाब में अंकन किया गया है। वाद पत्र में उल्लेखित खातेदार के भू–प्रबंध विभाग द्वारा रकबा कमी किये जाने से उस रकबे की कमी पूर्ति हेतु पडौसी नम्बर से दिये जाने की प्रतिवादी लैण्ड होल्डर ने अपने जवाब वाद पत्र एवं बहस प्रतिवादी में इकबालिया पुष्टि की है। अतः पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात, सुनी गयी उभयपक्षीय बहस व तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) की रिपोर्ट के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि वादीगण के खाते की आराजी साबिक खसरा नं0 69 रकबा 30 बीघा 3 बिस्वा वाके माल कूण्डला जिसके हाल खसरा नं0 110 रकबा 4.

48 है0 है, में दौराने सेटलमेंट हुयी कमी रकबा 0.39 है0 की कमी पूर्ति हेतु वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी जो वर्तमान में सिवायचक खाते में दर्ज आराजी खसरा नं0 111 रकबा 0.66 है0 में से रकबा 0.39 है0 कम कर वादी के खाते दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मांगरोल राजस्व रेकार्ड में अंकन कर पालना से अन्दर 15 योम में अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर शुमार से कम होकर दाखिल दफ्तर होवे।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2019 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया